कार्यालय उप श्रम आयुक्त, उधमसिहनगर, कलेक्ट्रेट परिसर, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।

पत्रांक 2122-25/डीएलसी–यूएसएन–कोरोना वा0/2020 दिनांकः 01-04-2020

समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

कृपया जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर के आदेश सं0 सं0 5463 (1)/Covid–19/2019–20 दिनांक 30 मार्च, 2020 का संदर्भ लें (छायाप्रति संलग्न), जो कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश सं0 40/3/2020–DM–1(A) दिनांक 29 मार्च, 2020 द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं तद्क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेस में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्गत किया गया है।

उक्त आदेश के बिन्दु 3 एवं 5 में निम्नवत दृष्टव्य किया गया है किः

3. **किसी उद्योग दुकान और वाणिज्यिक संस्थान में कार्य करने वाले समस्त कार्मिकों का वेतन का भुगतान नियत तिथि को बगैर किसी कटौती के उनके कार्यस्थल पर ही किया जायेगा।**
5. **किसी उद्योग, दुकान वाणिज्यिक संस्थान में कार्यरत अथवा किसी ठेकेदार के अधीन कार्यरत ऐसे मजदूर जो अपने स्थान पर रूके हुये हैं, या फंसे हुए हैं, उनके उसी स्थान पर रहने खाने आदि की समस्त व्यवस्था सम्बन्धित उद्योग स्वामी, संस्थान कम्पनी, ठेकेदार द्वारा ही की जानी होगी।**

उक्त आदेश के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यक्षेत्र में अवस्थित उद्योगों में यदि उक्त के उल्लंघन का कोई प्रकरण आपके संज्ञान में आता है, या लाया जाता है, तो तत्काल सम्बन्धित शिकायत के संदर्भ में सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर सम्बन्धित प्रतिष्ठान के सेवायोजक तथा संविदाकार से सम्पर्क कर मौके पर बुलाकर उक्त शिकायत का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें यदि सेवायोजक या संविदाकार श्रमिकों को वेतन से अवैध कटौती या वेतन का भुगतान नहीं करना सुनिश्चित करता है तथा जहां किसी प्रतिष्ठान के मजदूर लाकडाउन के दौरान किसी स्थान पर रूके हुये या फंसे हुये है, तो उनके रहने खाने आदि की समस्त व्यवस्था कोई प्रतिष्ठान मौके पर नहीं करता है या उक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो तत्काल प्रभावित श्रमिकों के सेवायोजक एवं संविदाकार के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही की संस्तुति सहित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि उक्त सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय को आख्या प्रेषित की जा सके। यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, कृपया शिकायत संज्ञान में आने पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें, इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी, यदि कार्य मे लापरवाही पायी जाती है, तो सनद रहे तद्नुसार जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया जायेगा।

संलग्न–यथोपरि।

(प्रशांत कुमार)
सहायक श्रम आयुक्त,
उधमसिंहनगर।

पत्रांक /उक्त तददिनांकित

प्रतिलिपिः उप श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)
सहायक श्रम आयुक्त,